मतदान दलों हेतु आवश्यक निर्देश

- सामग्री प्राप्त होने पर चेक लिस्ट से मिलान करें
- CU/BU/VVPAT
- CU/BU/VVPAT के केरिंग केस के साथ नम्बर का मिलान करें। बैटरी एवं प्रत्याशी के बटन (BU) को चेक करें।
- बैटरी का % ऊँचा हो। कैंडसेट सही हो । Thumbwheel सही सेट हो।
- BU के बटन सही हों
- ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील(ABCD), स्पेशल टैग, मॉक पोल के बाद VVPAT की ड्रॉप बॉक्स से निकली स्लिप को सील करने हेतु काला लिफ़ाफ़ा, बॉक्स एवं गुलाबी सील + Mock Poll Slip की सील
- अमित स्याही एवं सुभेदक मुहर, पीतल की सील
- निर्वाचक नामवाली की चिन्हित प्रति एवं अन्य दो प्रतियाँ
- निर्वाचक नामवाली की सभी प्रविस्टियाँ चेक कर लें।
- मतदाता रजिस्टर- 17A
- मतदाता को जारी की जाने वाली पर्चियाँ
- सभी परिनियत एवं अपरिनियत लिफ़ाफ़े
- चेकलिस्ट के अनुसार अन्य सामग्री का अच्छी तरह से मिलान कर लेवें।
- संतुष्ट हो जाने के पश्चात अपने सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट कर निर्धारित वाहन से अपने मतदान केंद्र हेतु प्रस्थान करें।

मतदान से एक दिन पूर्व की तैयारियाँ

- 100 मीटर निर्धारक चिन्ह लगाएँ।
- सूचना पटल पर विभिन्न प्रदर्शन जैसे मतपत्र का प्रारूप, मतदान केंद्र की जानकारी इत्यादि लगाएँ
- बैठक व्यवस्था दुरुस्त करें। मतदान कक्ष का निर्माण करें
- प्रपत्रों को तैयार कर लेवें
- केंद्र के भीतर एवं आसपास लगी प्रचार सामग्री/ निशान/चिन्ह को मिटाएँ।

मतदान के दिन & मॉक पोल के दौरान

- मॉक पोल मतदान के क़रीब सवा से डेढ़ घंटे पूर्व प्रारम्भ कर देवें
- उपस्थित एजेंटों के परिचय पत्र जाँच कर उन्हें नियुक्ति पत्र देकर प्रवेश देवें

- एजेंटों के उपस्थित नहीं होने पर भी मॉक पोल प्रारम्भ कर देवें
- मॉक पोल करते समय VVPAT के पीछे के KNOB को सीधा (खड़ा) करना ना भूलें।
- कम से कम 50 वोट मॉक पोल में डलवाना अनिवार्य है।
- मॉक पोल के तुरंत पश्चात एजेंटों को मतों की गिनती कर बताएँ। प्रत्येक प्रत्याशी को एक वोट डालना ज़रूरी है। अगर अभिकर्ता ना पहुँचे तब भी 50 वोट का मॉक पोल करें।
- मॉक पोल के पश्चात VVPAT के बैलेट स्लिप कम्पार्ट्मेंट को सील करें। एजेंटों को ख़ाली भाग दिखाएँ।
- मॉक पोल के पश्चात VVPAT के बैलेट स्लिप को निकालकर उन सब के पीछे " Mock Poll Slip" की सील लगाना ना भूलें। फिर उन्हें काले लिफ़ाफ़े में रखकर प्लास्टिक के केस में रखकर गुलाबी पेपर सील से सील करें।
- मॉक पोल पश्चात TOTAL→CLOSE→RESULT→CLEAR करें
- अब CU को बंद कर सील करें – रिज़ल्ट भाग में हरी पत्र मुद्रा लगाएँ। नम्बर ऊपर दिखना चाहिए। रिज़ल्ट खंड को बंद कर स्पेशल टैग से सील करें। अंदर लाख/ चपड़ा/मोम ना गिरे इसका ध्यान रखें। बाहरी कवर पर ऐड्रेस टैग लगाएँ। अब स्ट्रिप सील(ABCD) से इसे सील करें। इसका भी नम्बर ऊपर से दिखना चाहिए। CLOSE बटन के ऊपर यह सील ना लगे। अभिकर्ता सभी सीलों पर हस्ताक्षर करें। CU के रिज़ल्ट सेक्शन में एक ऐड्रेस टैग लगाएँ ।
- CU+VVPAT+BU को जोड़ें। VVPAT के पीछे का नाब खड़ा करें। VVPAT एवं BU को मतदान कक्ष में रखें । CU मतदान अधिकारी III के सामने रखें। BU को वोटिंग कम्पार्ट्मेंट के अंदर रखें और VVPAT को इसके नज़दीक इस तरह रखें कि उसका पीछे का भाग आपकी नज़र में हो
- घोषणाएँ कर निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करें।

मतदान के दिन & मतदान के दौरान

- मतदान अधिकारी I – मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी/ मतदाता को पहचानना/ महिला पुरुष एवं % की जानकारी रखना।

- मतदान अधिकारी II – अमिट स्याही / मतदाता रजिस्टर/ मतपर्ची का प्रभारी – बाएँ तर्जनी पर स्याही, मतदाता रजिस्टरक (17A) में मतदाता का सरल क्रमांक, मतदाता सूची का क्रमांक, हस्ताक्षर एवं टिप्पणी कॉलम में फोटोयुक्त परिचय पत्र का नाम एवं अंतिम 4 अंक लिखेगा

- मतदान अधिकारी III- CU का प्रभारी, मतदाता पर्ची को पोकर में सम्भालकर रखेगा तथा बैलट बटन दबाकर मत जारी करेगा। प्रत्येक दो घंटे में टोटल दबाकर कुल डाले गए मतों की जानकारी पीठसीन को देगा। कुल डाले गए मतों का मिलान मतदान अधिकारी II के मतदाता रजिस्टर से करेगा।

www.rajteachers.com

मतदान के दिन & मतदान के पश्चात

- महिला पुरुष मतदाता की संख्या निकालना है ।
- मतदान समाप्ति के पूर्व अगर मतदाताओं की संख्या ज़्यादा हो तो पर्ची बाँटेगा । अंतिम मतदाता को 1 नम्बर की पर्ची से शुरू करेगा।
- अंतिम मतदाता के मत डालने के बाद ही CLOSE बटन दबाएगा ।
- कुल मतों की संख्या मतपत्र लेखा 17C में अंकित कर इसे भरेगा। उपस्थित सभी अभिकर्ताओं को मतपत्र लेखा की एक-एक प्रति देकर उस पर सुभेदक मुहर लगाकर एवं हस्ताक्षर कर उन्हें प्रदान करें
- CU का स्विच अब बंद करें। VVPAT के पीछे काले नाब को आड़ा करें
- CU/VVPAT/BU अभिकर्ताओं के समक्ष सील करें
- CU – 1 ऐड्रेस टैग ON-OFF बटन वाले सेक्शन में लगाएँ। 2 ऐड्रेस टैग CU के बक्से में लगाएँ।
- BU - 2 ऐड्रेस टैग BU के बक्से में लगाएँ
- VVPAT-1 ऐड्रेस टैग बैटरी सेक्शन में लगाएँ। 4 ऐड्रेस टैग बक्से में लगाएँ।
- पीठसीन अधिकारी की डायरी पूर्ण करें। इसे समय समय पर होने वाली घटनाओं से अद्यतन भी करते जाएँ
- अन्य प्रपत्र भरें एवं सील करें

सामग्री जमा करने हेतु तैयारी

- BU सीलबंद / CU सीलबंद / VVPAT सीलबंद
- मतपत्र लेखा दो प्रतियों में (बिना सील बंद)
- पीठसीन अधिकारी की डायरी (बिना सील बंद)
- अब्ज़र्वर रिपोर्ट (बिना सील बंद)
- पीठसीन अधिकारी की घोषणाएँ (बिना सील बंद)
- परिनियत लिफ़ाफ़ा खुला (अंदर के पाँच लिफ़ाफ़े सीलबंद)
- अपरिनियत लिफ़ाफ़ा खुला

www.rajteachers.com

- अन्य सामग्री खुली

मतदान के दौरान BU/VVPAT/CU समस्याएँ

- CU में LINK ERROR – CU/VVPAT/BU का तार निकालकर फिर से लगाएँ (लीड निकलते एवं जोड़ते समय CU को बंद करना ना भूलें)
- PRESSED ERROR – एजेंटों के साथ अंदर जाकर BU चेक करें
- VVPAT-Low Battery – VVPAT की बैटरी बदलें। बैटरी बदलने से पूर्व CU को बंद करना ना भूलें।
- VVPAT- Paper Low – केवल VVPAT ही बदली जाएगी। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। VVPAT बदलते समय CU को बंद करना ना भूलें।
- ERROR- CU+VVPAT+BU सब बेकार ज़ोनल एवं नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचित करें । पूरा सेट (CU+VVPAT+BU) को बदलना आवश्यक । नए सेट में मॉक पोल में प्रत्येक प्रत्याशी को एक-एक वोट देना अनिवार्य।

सावधानियाँ

- EPIC ना लाने पर भी मतदाता को वोट डालने दें । किसी भी फोटोयुक्त परिचय पत्र से वोट डालने दें
- किसी भी वैध परिचय पत्र के अंतिम चार अंक मतदाता रजिस्टर (17A) में लिखना ना भूलें।
- अभ्याक्षेपित मत (Challenged Vote) पर दो रुपए शुल्क लेवें । जाँच करें । अमित स्याही लगने पर अभ्याक्षेप अमान्य करें ।
- निविदत्त (Tender Vote) हेतु फ़ॉर्म 17B के कॉलम – V में मतदाता का हस्ताक्षर लेना ना भूलें
- Tender Vote को 17B के साथ अलग लिफ़ाफ़े में रखें ।
- मतपत्र लेखा 17C के आठवें भाग में निविदत्त मत का सही हिसाब रखें ।
- मतपत्र लेखा 17C को सही भरें ।
- पीठसीन अधिकारी की पुस्तिका का गहन अध्ययन करें ।

www.rajteachers.com

Dr. M.M. Joshi (DLMT-Korba)